"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 131] रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 अप्रैल 2013—चैत्र 13, शक 1935

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-6/खाद्य/2010/29.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिला उपभोक्ता फोरमों में सदस्य के रिक्त पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक नियुक्त करता है :—

क्रमांक (1)	नाम व पता (2)	जिला उपभोक्ता फोरम (3)
1.	श्री दिलीप कुमार चन्द्रवंशी, आत्मज श्री शत्रुहन चन्द्रवंशी, आदर्श नगर, वार्ड क्रमांक 03, शिवमंदिर के आगे कबीरधाम (छ.ग.)	कबीरधाम
2.	श्री संजय कुमार सोनी, आत्मज श्री एच. आर. स्वर्णकार, पता-विजय मेडिकल के पास जशपुर नगर (छ.ग.)	जशपुर
3.	श्रीमती अनामिका नंदे, पति श्री राजीव रंजन नंदे, ग्राम व पोस्ट लोधमा, तहसील, कुनकुरी जिला जशपुर (छ.ग.)	जशपुर

(1)	(2)	(3)
4.	श्री तिलोकचन्द निषाद, स्व. श्री बुधमन निषाद, पता-मसरचला वार्ड कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)	कोण्डागांव
5.	सुश्री कुसुम अवस्थी, स्व. श्री हरिकृष्ण अवस्थी, दाऊ पारा मुंगेली, जिला-मुंगेली (छ.ग.)	कोण्डागांव
6.	श्री कैलास जैन, पिता-स्व. मांगीलाल जैन, पटनमपारा सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)	सुकमा
7.	कुमारी मान्या चौहान, पिता स्व. श्री रामविलास चौहान, राम भवन गौरव पथ सुकमा, जिला सुकमा (छ.ग.)	सुकमा
8.	श्री बालमुकुंद अग्रवाल, वार्ड क्रमांक 4 टिकरापारा बालोद जिला बालोद (छ.ग.)	बालोद
9.	श्रीमती मनोरमा देशमुख, पति-श्री प्रेम लाल देशमुख पता-शिकारी पारा बालोद, तह. जिला-बालोद (छ.ग.)	बालोद
10.	श्री ओमप्रकाश चंद्राकर, पिता-श्री मनहरण लाल चन्द्राकर ग्राम कठौतिया, पो. छिरहा, तह. व जिला बेमेतरा (छ.ग.)	बेमेतरा
11.	श्रीमती सलमा शरीफ, पति-श्री नईमुद्दीन शरीफ, पता वार्ड नंबर 13, नयापारा गौरव पथ जिला-बेमेतरा (छ.ग.)	बेमेतरा
12.	श्री कमलेश्वर केशरवानी, पिता-स्व. निरंजन प्रसाद केशरवानी, गांधीवार्ड मुंगेली, जिला मुंगेली (छ.ग.)	मुंगेली
13.	कुमारी रूखमणी दिव्या, पिता-आत्मा राम दिव्या, ग्राम-देवरी, तह.-जिला-मुंगेली (छ.ग.)	मुंगेली
14.	श्री महेश कुमार यादव, पिता-श्री दौवां राम यादव ग्राम-पोस्ट तह. राजिम डोभापारा, वार्ड क्रमांक 4, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)	गरियाबंद
15.	श्रीमती विभा अवस्थी, पति-अश्वनी अवस्थी, ग्राम पोस्ट अमलीपदर विकासखण्ड मैनपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग.)	गरियाबंद
16.	श्री भगवंत सिंह गुर्जर, आत्मज-श्री लक्षनधारी राम, कॉलेज रोड सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)	सूरजपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 5-6/खाद्य/2010/29/984.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 02-04-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 2nd April 2013

NOTIFICATION

No. F 5-6/food/2010/29.—In exercise of powers conferred by the sub section (1-D) of section 10 of consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986) State Government thereby appoint following candidates as Members District Consumer Disputes Redressal Forum, mentioned against each name as per recommendation of section committee for 5 year or 65 years of age which ever is earlier from the date of their joining :—

S. No. (1)	Name & Address (2)	Distt. Consumer Forum (3)
1.	[illegible] (C.G.)	[illegible]
2.	[illegible] (C.G.)	[illegible]
3.	Shrimati [illegible] Post Lodh[illegible] Tah. [illegible] Distt. [illegible] (C.G.)	[illegible]
4.	Shri Thilokchand Nished, S/o Shri [illegible], Address- [illegible] Word, Kondagaon Distt Kondagaon (C.G.)	Kondagaon
5.	Sushri Kusum Awasthi D/o Shri Harikrishan Awasthi Daupara Mungeli, Distt-Mungeli (C.G.)	Kondagaon
6.	Shri Kailash Jain S/o Shri Mangilal Jain Patnampara, Distt-Surajpur (C.G.)	Surajpur
7.	Kumar Maniya Chauhan, D/o Shri Ramvilash Chauhan, Address- Ram Bhawan Gauraw Path Sukama, Distt-Sukama (C.G.)	Sukama
8.	Shri Balmukund Agrawal, S/o Shri Mool Chand Agrawal Word No. 4, Tikrapara Distt-Balod (C.G.)	Balod
9.	Smt. Manoram Deshmukh, H/o Shri Prem Lal Deshmukh Address-Shikari para Balod Distt.-Balod (C.G.)	Balod
10.	Shri Omprakash Chandrakar, S/o Shri Manharan Lal Chandrakar, Address-Village Katotiya, Post Chirha Tah-Bemetara Distt.- Bemetara (C.G.)	Bemetara
11.	Smt. Salma Sharif, H/o Shri Naimuddin Sharif, Address Word No. 13 Nayapara Gauv Path Distt.-Bemetara (C.G)	Bemetara
12.	Shri Kamleshwar Kesharwani, S/o. Shri Niranjan Prasad Keshawani, Gandhi Word Mungeli, Distt.- Mungeli (C.G.)	Mungeli
13.	Kumari Rukhmani Dibya D/o Atma Ram Dibya Address-Village Devri, Tah. & Distt.-Mungeli (C.G.)	Mungeli
14.	Shri Mahesh Kumar Yadav, S/o Shri Davwa Ram Yadav, Address-Village + Post+ Tah-Rajim Dobhapara Word No. 4 Distt. Gariyaband (C.G.)	Gariyaband

(1)	(2)	(3)
15.	Smt. Vibha Awasthi, H/o Ashawani Awasti, Address-Village Post Amlipather Vikashkhand Mainpur Distt.-Gariyaband (C.G.)	Gariyaband
16.	Shri Bhawant Singh Gurjar C/o Laxandhari Ram, Address-College Road Surajpur Distt. Surajpur (C.G.)	Surajpur

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-6/खाद्य/2010/29.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में सदस्य के रिक्त पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक नियुक्त करता है :—

क्रमांक (1)	नाम व पता (2)	आयोग (3)
1.	कुमारी हिना ठक्कर, पिता-स्व. श्री हीरालाल ठक्कर, पता-8-[illegible] कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.).	छ.ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 5-6/खाद्य/2010/29/981.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 02-04-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 2nd April 2013

NOTIFICATION

No. F 5-6/food/2010/29.—In exercise of powers conferred by the sub section (1-B) of section 10 of consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986) State Government therehy appoint candidates as Member C. G. State Consumer

Commission Raipur mentioned against each name as per recommendation of section committee for 5 years or 65 years of age which ever is earlier from the date of their joining :—

S. No. (1)	Name & Address (2)	Commission (3)
1.	Kumari Heena Thakkar, D/o Late Shri Hira Lal Thakkar Address-8 Jalvihar Colony, Raipur (C.G.)	C.G. State Consumer Commission Raipur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.